विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, ''मेट्रो प्लाज़ा'', बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-50/17

श्री हामिद अंसारी, — **आवेदक**
मकान नंबर 2814,
यादव मोहल्ला, महू,
जिला – इंदौर (म0प्र0)

विरूद्ध

कार्यपालक यंत्री (संचा./संधा.) संभाग, — **अनावेदक**
म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.,
महू, पोस्ट – महू, जिला – उज्जैन (म0प्र0)

आदेश

(दिनांक 14.11.2019 को पारित)

01. **श्री हामिद अंसारी,** मकान नंबर 2814, यादव मोहल्ला, महू, जिला – इन्दौर के प्रकरण में विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र द्वारा जारी पत्र क्र0 177 दिनांक 12.02.2018 से शिकायत नहीं सुने जाने के निर्णय से असंतुष्ट होकर अपील अभ्यावेदन दिनांक – निरंक सुनवाई हेतु प्रस्तुत की गई जो दिनांक 22.02.2018 को प्राप्त होकर प्रकरण क्रमांक एल00–50/2017 पर दर्ज की गई ।

03. अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद इसकी प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 20.03.2018 को नियत करते हुए आवेदक एवं अनावदेक को दिनांक 08.03.2018 को सूचना पत्र प्रेषित किया गया ।

दिनांक 20.03.2018 की सुनवाई में आवेदक तथा अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः अगली सुनवाई दिनांक 07.05.2018 को नियत की गई । तत्कालीन समय नियमित विद्युत लोकपाल की नियुक्ति न होने के कारण प्रभारी विद्युत लोकपाल द्वारा नियमित विद्युत लोकपाल की पदस्थापना की प्रत्याशा में प्रकरण में सुनवाई न की जाकर सुनवाई आगे बढ़ाई जाती रही । अन्ततः माह अप्रैल 2019 में नियमित विद्युत लोकपाल के पदग्रहण करने के पश्चात सुनवाई पुनर्निर्धारित (Re-schedule) करते हुए प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 30.04.2019 नियत की गई ।

04. प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन के अवलोकन से प्रकरण के स्पष्ट विवरण तथा चाही गई राहत का स्वरूप भी प्राप्त नहीं होते हैं । संक्षिप्त में अपील की विषय–वस्तु यह है कि आवेदक की शिकायत को विद्युत अधिनियम की धारा 135/126 से संबंधित होने से फोरम ने सर्वसम्मति से सुनवाई हेतु योग्य नहीं पाते हुए प्रकरण मूलतः वापस कर आवेदक को प्रकरण के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी एवं न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु अपने पत्र क्रमांक 177 दिनांक 12.02.2018 से अनुरोध किया, जिसके विरूद्ध आवेदकद्वय ने विद्युत लोकपाल के समक्ष अपील प्रस्तुत की है ।

05. लिखित अभ्यावेदन के अनुसार श्री मो0 सईद द्वारा विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर में शिकायत प्रस्तुत की थी कि संयोजन क्रमांक 1034500000 पर सतर्कता विभाग द्वारा बनाए गए पंचनामें, निर्धारण आदेश के संबंध में धारा 56(2) के अंतर्गत सुनवाई हेतु शिकायत प्रस्तुत की गई । श्री मो0 सईद द्वारा लिखित अभ्यावेदन में सूचित किया गया कि उपरोक्त प्रकरण मुख्य सतर्कता अधिकारी के द्वारा बनाया गया प्रकरण है, उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई धारा 56 (2) के अन्तर्गत आप महोदय के समक्ष प्रस्तुत है, जिसे सुनने का अधिकार आप महोदय के कार्यक्षेत्र में है ।

(i) उपरोक्त प्रकरण 2 साल पुराना होने के कारण बकाया धारा 56(2) के अंतर्गत वसूली योग्य नहीं है, अतः प्रकरण को निरस्त करने की कृपा करें ।

(ii) प्रकरण में शमन शुल्क की राशि भी भर दी गई है, जिसकी रसीद संलग्न हैं, किन्तु स्थानीय अधिकारी के द्वारा उसे न मानते हुए विद्युत संयोजन आये दिन बिना सूचना के काट दिया जाता है ।

(iii) दिनांक 25.01.2018 को संयोजन काट दिया गया था, उच्च अधिकारियों से निवेदन पर 10 दिन में प्रकरण का निराकरण करा लेवेंगे, उस आधार पर विद्युत संयोजन जोड़ा गया है ।

अतः महोदय से निवेदन है कि प्रकरण में सुनवाई पूर्व तथ्यों को देखते हुए, बिजली विभाग विद्युत संयोजन नहीं काटे, ऐसा आप महोदय से निवेदन है ।

06. अपील के साथ प्रेषित विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, इंदौर एवं उज्जैन क्षेत्र के पत्र क्रमांक 177 दिनांक 12.02.2018 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि फोरम ने शिकायत के अवलोकन पश्चात् पाया कि प्रकरण विद्युत अधिनियम की धारा 135/126 में दर्ज किया गया है, जो ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009'' के अध्याय–3 की कण्डिका 3.35 में यह लेख है कि फोरम अधिनियम के भाग 10, 11, 12, 14 एवं 15 सहित आयोग या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष मौजूद या प्रस्तावित कार्यवाहियों से संबंधित किसी विषय वस्तु के अभ्यावेदन ग्रहण नहीं करेगा । विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135/126 के अंतर्गत बनाए गए प्रकरण जिसमें परिवादी 56(2) में रीलिफ चाहते हैं, फोरम द्वारा नहीं सुने जावेगे वरन् इस मुद्दें को भी सक्षम अधिकारी/न्यायालय द्वारा ही सुना जावेगा जो धारा 126/135 के प्रकरण सुनने हेतु अधिकृत है । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत परिवाद को फोरम द्वारा सर्वसम्मति से सुनवाई योग्य नहीं पाया गया । अतः प्रकरण मूलतः वापस किया जाकर अनुरोध है कि प्रकरण के निराकरण हेतु सक्षम अधिकारी/न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

07. दिनांक 30.04.2019 को प्रारंभिक सुनवाई की गई, जिसमें आवेदक की ओर से श्री संजय अग्रवाल आवेदक प्रतिनिधि के तौर पर तथा अनावेदक की ओर से श्री चेतन बंगर, कार्यालय सहायक, ग्रेड–3 उपस्थित ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रकरण से संबंधित विवरण एवं विद्युत लोकपाल से चाही गई राहत का स्वरूप स्पष्ट नहीं होने पर विद्युत लोकपाल द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई तथा आवेदक को निर्देशित किया गया कि अपील के पर्याप्त विवरण स्पष्टता के साथ प्राथमिकता पर प्रस्तुत करें, जिससे प्रकरण में अर्थपूर्वक सुनवाई की जा सके ।

अनावेदक की ओर से कार्यपालक यंत्री (संचा./संधा) संभाग, पश्चिम क्षेत्र, महू उपस्थित नहीं हुए और अपना पक्ष रखने हेतु श्री चेतन बंगर, कार्यालय सहायक ग्रेड–3 को भेजा गया तथा लिखित में अधिकृत करते हुए कोई पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर लोकपाल द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रकरण के विवरण एवं चाही गई राहत का स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रति–उत्तर को रिकार्ड में न लेते हुए अनावेदक को आवेदक से वांछित विवरण/राहत संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर उसके अनुसार अपना उत्तर प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

08. दिनांक 30.04.2019 में सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश अनुसार श्री संजय अग्रवाल ने डाक द्वारा अपना पत्र दिनांक 08.05.2019 से प्रकरण के विवरण प्रेषित किए जो कार्यालय में दिनांक 10.05.2019 को प्राप्त हुए । श्री संजय अग्रवाल ने पत्र में सूचित किया कि उनके द्वारा इसकी एक प्रति अनावेदक को दिनांक 02.05.2019 को दे दी गई है । इसके साथ ही श्री संजय अग्रवाल के आवेदक श्री मोहम्मद सईद द्वारा उनको आवेदक प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने संबंधी अधिकार पत्र भी संलग्न किया गया है ।

09. सुनवाई दिनांक 30.05.2019 कुछ आवश्यक अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर सुनवाई हेतु दिनांक 21.06.2019 नियत की गई । दिनांक 21.06.2019 की सुनवाई में श्री संजय अग्रवाल द्वारा अपने पत्र दिनांक 08.05.2019 से प्रेषित प्रकरण के विवरण, जिसके साथ श्री मो0 सईद द्वारा श्री संजय अग्रवाल के पक्ष में जारी अधिकार पत्र भी शामिल है, का अवलोकन किया गया । अभ्यावेदन का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि विद्युत लोकपाल के समक्ष प्रस्तुत 22.02.2018 को प्राप्त मूल आवेदन पर एवं प्रकरण तथा पत्र दिनांक 08.05.2019 से प्रस्तुत प्रकरण के विवरण संबंधी दस्तावेज पर किसी मो0 सईद नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर है जबकि प्रकरण उपभोक्ता श्री हामिद अंसारी म0न0 28/14, यादव मोहल्ला, महू – जिला इन्दौर का है । इसी प्रकार श्री संजय अग्रवाल आवेदक अधिकृत प्रतिनिधि है किन्तु उपभोक्ता द्वारा उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में अधिकृत किए जाने संबंधी कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जाना नंही पाया गया । श्री संजय अग्रवाल ने बिना किसी साक्ष्य के कथन

किया कि उपभोक्ता बहुत वृद्ध व्यक्ति है और वृद्धावस्था के कारण उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण मो0 सईद जो उनके पुत्र हैं के हस्ताक्षर से आवेदन प्रस्तुत किया है ।

10. प्रस्तुत अपील के विधिपूर्वक स्थापित नियमों के परिप्रेक्ष्य में सावधानीपूर्वक किए गए अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रकरण उपभोक्ता श्री हामिद अंसारी द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाकर उनके कथित पुत्र श्री मोहम्मद सईद नामक व्यक्ति द्वारा किया गया है । इस संबंध में श्री मोहम्मद सईद आवेदक को वैधानिक रूप से शिकायतकर्ता या उपभोक्ता माने जाने के संबंध में **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** की **कण्डिका 2.4 (डी), तथा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2 की कण्डिका (15)** का अवलोकन किया गया।

''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009'' की कण्डिका 2.4 (डी) :–

2.4 (डी) ''शिकायत कर्ता (Complainant)'' से अभिप्रेत है –

(i) अधिनियम की धारा 2 की कण्डिका (15) में परिभाषित उपभोक्ता;अथवा
(ii) नवीन संयोजन हेतु एक आवेदनकर्ता; अथवा
(iii) उपभोक्ताओं की कोई पंजीकृत संस्था; अथवा
(iv) उपभोक्ताओं की कोई अपंजीकृत संस्था, जहाँ उपभोक्ताओं का एक–समान हित हो;

अथवा

(v) उपभोक्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में, उसका वैध उत्तराधिकारी या प्रतिनिधि;

<u>विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 2(15) :</u>

2(15) *''उपभोक्ता'' से अभिप्रेत (ऐसा व्यक्ति – जिसको इस अधिनियम या तत्समय प्रचलित (प्रवृत्त) किसी अन्य विधि के अधीन पब्लिक को विद्युत प्रदाय के कारोबार में लगे हुए लायसेन्सी (अनुज्ञप्तिधारी) या सरकार द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के उपभोग के लिए विद्युत प्रदाय की जाती है और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें लायसेन्सी सरकार या यथास्थिति, अन्य व्यक्ति के कारोबार में जिसके परिसरों (गृह, भूमि) को तत्समय विद्युत प्राप्ति के लिए जोड़ा गया है;*

प्रकरण में प्रस्तुत अपील, किए गए कथन तथा दिए गए दस्तावेज/जानकारी का आवेदक श्री मोहम्मद सईद को शिकायतकर्ता/उपभोक्ता के तौर पर स्वीकार किए जाने के लिए माननीय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम **''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ता की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम 2009''** एवं **विद्युत अधिनियम 2003** की उक्त कण्डिकाओं क्रमशः 2.4(डी) एवं 2(15) के प्रावधानों के प्रकाश में सावधानीपूर्वक अवलोकन किया गया । इस अवलोकन से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि आवेदक मोहम्मद अंसारी इस वर्तमान प्रकरण में शिकायतकर्ता अथवा उपभोक्ता के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता ।

उक्त निष्कर्ष के आधार पर आवेदक विद्युत लोकपाल के समक्ष उपभोक्ता श्री हामिद अंसारी के प्रकरण में अपील प्रस्तुत करने के लिए वैधानिक रूप से अधिकृत नहीं पाए जाते और उनके द्वारा प्रस्तुत अपीलीय आवेदन विद्युत लोकपाल के समक्ष वैधानिक रूप से प्रचलन योग्य नहीं होकर उनके श्रृवण क्षैत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं पाई जाती है। अतः आवेदक की प्रस्तुत अपील निरस्त किए जाने का निर्णय लिया जाना न्यायोचित होगा।

11. आवेदक की अपील निरस्त की जाती है । इसके साथ ही प्रकरण निर्णीत होकर समाप्त किया जाता है । उभय पक्ष प्रकरण में हुए अपने–अपने व्यय को स्वयं वहन करेंगे । आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निःशुल्क प्रति के साथ पक्षकारों को अलग से सूचित किया जाए ।

विद्युत लोकपाल